न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.

प्रकरण : प्रा0पत्र0

मुकदमा नम्बरः– 05/2024

1. ईश्वर पुत्र बालू जाति सुनार निवासी झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार,तहसील कार्यालय मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. अनुपमा मलिक पत्नी बृजेश मलिक जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर 338 ग्राउण्ड फ्लोर ओरटिड आईलैण्ड सेक्टर 51 गुडगांव हरियाण।
3. रवि जाखड़ पुत्र रामस्वरूप जाखड़ जाति जाट निवासी 63 हनुमान वाटिका 02 अजमेर रोड जयपुर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रा0पत्रः– पत्र बाबत तरमीम दूरूस्ती

उपस्थित : 1. श्री राधेश्याम लक्षकार अधिवक्ता प्रार्थी।

2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थिति।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की और से श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता उप0।

: : <u>आदेश</u> : :

दिनांक :– 1/7/2025

प्रार्थी ने प्रा0पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती पेश कर निवेदन किया किया कि राजस्व ग्राम झाग तह0 मौजमाबाद में स्थिति खाता संख्या 2077 के आराजी ख0न0 2194/958 रकबा 1.8900 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.8900 है0 भूमि वाके ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात के साबिक ख0न0 829/2 रकबा 15 बीघा था जो प्रार्थी व उसके भाई छीतर की संयुक्त अविभाजित आराजीयात थी उक्त आराजीयात का प्रार्थी व उसके भाई छीतर का दिनांक 01.03.2005 केम्प झाग में आपसी सहमती से तकारमा हुआ और नक्शा व कुरेजात तैयार किये गये जिसमें प्रार्थी के खसरा नम्बर 829/2/2 जिसके हाल ख0न0 2194/958 है व खसरा नम्बर 829/2/1 छीतर पुत्र बालू के हिस्से में आया जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 958 रहे है। प्रार्थी का भाई छीतर तकारमा दिनांक 01.03.2005 के नक्शे अनुसार काबिज काश्त रहे है। प्रार्थी का भाई छीतर ने अपनी आराजी ख0न0 958 की खातेदारी भूमि को विभिन्न विक्रय पत्रों द्वारा दिनांक 03.02.2014 को बैचान कर दिया, जिस पर मूल खसरा नम्बर 958 के अलग अलग खसरा नम्बर कमशः 2559/958, 2560/958, 2558/958, 2557/958 हुये। वर्तमान नक्शे में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2194/958 का रकबा कम करते हुये उत्तरी दिशा में गलत रूप से खसरा नम्बर 958 व 2557/958 दर्ज कर दिया गया जो गलत तरमीम कर दी गई तथा खसरा नम्बर 958 के रकबे को नक्शे में बढा दिया गया और प्रार्थी के रकबे को कम कर दिया गया जो गलत किया गया। जबकि नक्शा तकासमा दिनांक 01.03.2005 के अनुसार होना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को प्रार्थी ने अपना राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने पर उक्त गलत तरमीम की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहां मौके पर कब्जे व साबिक नक्शे के अनुसार एवं तकासमा दिनांक 01.03.2005 अनुसार तरमीम करने बाबत प्रा0पत्र0 पेश किया है अतः प्रार्थना–पत्र मय संलग्न नजरी नक्शे सहित शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तदनुसार

उपखण्ड अधिकारी

नक्शे में वर्णित खसरा नम्बर 2557/958, 958 की तरमीम हजफ फरमायी जाकर साविक नक्शे के अनुसार व तकासमा दिनांक 01.03.2005 के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थीगण का प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी सं. 1 की और पेरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता ने उप0 होकर वकालत-पत्र मय जवाब पेश किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की कयशुदा आराजीयात है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 विकय पत्र के समय से ही मौके पर कब्जेनुसार रहकर काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साविक नक्शे में व वर्तमान नक्शे में किसी प्रकार का कोई फेरबेदल नही किया गया है प्रार्थी ने मात्र गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रा.पत्र0 पेश किया जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने तरमीम हुई आराजी कय की थी एव कय दिनांक से ही राजस्व रिकार्ड व नक्शे अनुसार मौके पर विकेता द्वारा संभलाये गय कब्जे अनुसार मौके पर विकेता द्वारा संभलाये गये कब्जे अनुसार काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तो तरमीम दुरूस्ती का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं।

प्रार्थी के प्रा0पत्र के सन्दर्भ मे तहसीलदार मौजमाबाद से तथ्यात्मक जाच रिपोर्ट ली गई । प्राप्त जांच रिपोर्टनुसार वर्तमान जमावन्दी सम्वत 2074-77 के अनुसार खाता संख्या 19 के ख0न0 2194/958 रकबा 1.89 है0 कुल किता 01 कुल रकवा 1.89 है0 खातेदार ईश्वर पुत्र बालू कौम सुनार सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। साविक ख0न0 829 रकबा 3.79 है0 वाके ग्राम झाग में आपसी सहमति के आधार पर विभाजन पत्र दिनांक 01.03.2005 को स्वीकृत होकर ना0स0 1071 दिनांक 01.03.2005 को तस्दीक हुआ है। तदनुसार खातेदार ईश्वर पुत्र बालू कौम सुनार ख0न0 829/2/2 रकबा 7 वीघा 10 बिस्वा तथा छीतर पुत्र बालू कौम सुनार ख0न0 829/2/1 रकवा 7 वीघा 10 बिस्वा दर्ज हुआ है। वर्तमान नक्शे में ख0न0 958 के बट्टा नम्वर जिनमे ख0न0 2557/958 रकबा 0.3744 है0, ख0न0 958 रकबा 0.3477 है0, ख0न0 2558/958 रकवा 0.3477 है0, ख0न0 2559/958 रकबा 0.3477 है0, ख0न0 2560/958 रकबा 0.50[illegible] है0 खातेदार अनुपमा मलिक पत्नि वृजेश मलिक हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी प्लाट न0 338 ग्राउण्ड फ्लोर आईलैण्ड सैक्टर 51 गुडगांव हरियाण व रवि जाखड पुत्र रामस्वरूप जाखड हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी 63 हनुमान वाटिका 02 अजमेर रोड जयपुर दर्ज है तथा ख0न0 2194/958 रकवा 1.89 है0 ईश्वर पुत्र वालू कौम सुनार सा0देह0 दर्ज सेग्रीगेशन पूर्व नक्शा में ख0न0 2560/958, 2559/958, 2558/958,2557/958 की तरमीम हो रखी है। जवकि वाद सेग्रीगेशन नक्शे मे ख0न0 2560/958, 2559/958, 2558/958, 2557/958, 958 व 2194/958 की तरमीम हो रखी है। ख0न0 2560/958, 2559/958, 2558/958, 2557/958, 958 का कुल रकबा 1.89 है0 तथा ख0न0 2194/958 रकबा 1.89 है0 है। अतः रकबे अनुसार नक्शे में तरमीम नही है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ प्रार्थी का प्रा0पत्र0 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात की तरमीम मुताबिक तकासमें अनुसार किया जाने का निवेदन किया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता ने जवाव प्रा0पत्र0 में अंकित तथ्यों को ही वहस माने का निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भू-प्रबन्ध विभाग सेटलमेन्ट के मिलना क्षेत्रफल व सहमति बंटवारा की प्रमाणित प्रति से ज्ञात है कि

वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 829/2 रकबा 15 बीघा था, जिसका विभाजन प्रार्थी एव सहखातेदार छीतर के मध्य आपसी सहमती दिनांक 01.03.2005 को स्वीकृत किया जाकर खातेदार ईश्वर पुत्र बालू कौम सुनार ख0न0 829/2/2। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनु रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा तथा छीतर पुत्र बालू कौम सुनार ख0न0 829/2/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज हुआ। विभाजन पश्चात खातेदार छीतर पुत्र बालू को द्वारा अपने हिस्से में प्राप्त आराजीयात विक्रय की गई है। जो वर्तमान में अनुपमा मलिक पत्नि ब्रजेश हिस्सा 1/2 जाति जाट नि0प्लाट न0 338 ग्राउण्ड फ्लोर आईलैण्ड सैक्टर 51 गुड़गांव हरियाणा व रवि जाखड़ पुत्र रामस्वरूप जाखड़ हिस्सा 1/2 नि0 63 हनुमान वाटिका 02 अजमेर रोड़ जयपुर दर्ज है। प्रकरण निस्तारण के क्रम में तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ख0न0 958 के वट्टा नम्बर क्रमशः 2560/958 , 2559/958, 2558/958, 2557/958, 958 का कुल रकबा 1.90 है जो सहमति बंटवारा वर्ष 2005 में छीतर पुत्र बालू को प्राप्त हिस्सा ख0न0 958 रकबा 1.90 है0 के बरावर है। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रेषित रिपोर्टनुसार ख0न0 2560/958 , 2559/958, 2558/958, 2557/958, 958 का कुल रकबा 1.90 है व ख0न0 2194/958 रकबा 1.89 है0 की तरमीम रकबे अनुसार तरमीम सही नहीं होकर गलत होना स्पष्ट है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता संख्या 190 के आराजी ख0न0 2559/958 रकबा 0.3477 है0 व खाता संख्या 710 के आराजी ख0न0 2560/958 रकबा 0.5092 है0 व खाता संख्या 54 ख0न 2558/958 रकबा 0.3477 है0 व खाता संख्या 640 के आराजी ख0न0 2557/958 रकबा 0.3477 है0 , आराजी ख0न0 958 रकबा 0.3477 है0 व खाता संख्या 19 के आराजी ख0न0 2194/958 रकबा 1.8900 की वर्तमान तरमीम हजफ फरमायी जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेस तकासमा वर्ष 01.03.2005 के आधार वर्तमान ख0न0 2560/958, 2559/958, 2558/958, 2557/958 व 958 की तरमीम रकबा बरारी कर क्रमशः उत्तर से दक्षिण आपसी सहमती तकासमा वर्ष 2005 के ख0न0 829/2/1 के आधार पर व ख0न0 2194/958 की तरमीम ख0न0 829/2/2 के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
(जिला जयपुर)

उक्त आदेश आज दिनांक 1/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया है।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
(जिला जयपुर)